न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी -- श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 109/2012

अपीलांटस		रेस्पोडेटस
1. भूराराम पुत्र राणाराम	बनाम	1. गोकलाराम पुत्र मगाराम के कायम मुकाम
2. चौथाराम पुत्र राणाराम		1/1 गुमनाराम पुत्र गोकलाराम
3. बाबूराम पुत्र राणाराम		1/2 गिरधारीराम पुत्र गोकलाराम
जाति जाट निवासी		1/3 भगाराम पुत्र गोकलारामा
रामदेवपुरा (नागाणा) भू.अ.		जाति जाट निवासी रामदेवपुरा
निरीक्षक थोब तहसील		तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
पचपदरा जिला बाड़मेर		2. तहसीलदार पचपदरा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 03.12.2010 द्वारा तहसीलदार पचपदरा।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

उपस्थित-- 1. अपीलांटस की ओर से श्री हूकमसिंह चौधरी अधिवक्ता उप.।
2. रेस्पोडेंटस 1 से 1/3 के अधिवक्ता अनुपस्थित।
3. रेस्पोडेंटस संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

निर्णय दिनांक 07.09.2017

1. संक्षेप में अपीलान्टस की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांटस व रेस्पोडेंट संख्या 1 की पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 179 रकबा 13 बिस्वा गैर मुमकीन, खसरा नंबर 180 रकबा 87 बीघा 02 बिस्वा बा.सो. कुल रकबा 87 बीघा 15 बिस्वा ग्राम रामदेवपुरा (नागाणा) तहसील पचपदरा में आई हुई है। उक्त भूमि पर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस का संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त है तथा पक्षकारान खातेदारान आपसी सहमति से मौके पर अपने–अपने हिस्से के अनुसार विभाजन कर काश्त करते आ रहे है तथा अपनी–अपनी आवासीय ढाणियॉ बनाई हुई है। उक्त खसरो की भूमि का आपसी सहमति से बंटवाड़ा करवाने के लिए राजस्व अभियान में दिनांक 8.12.2010 को आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर उक्त खसरो का बंटवाड़ा किया गया परन्तु पटवारी हल्का व भू.अ.निरीक्षक द्वारा बंटवाड़े के साथ जो नक्शा पेश किया, वो नक्शा वास्तव में मौके पर काबिज पक्षकारान के कब्जे काश्त अनुसार नहीं था। अपीलांटस की ढाणी व खेड़ा की कब्जा काश्त की भूमि रेस्पोडैंट संख्या 01 के हिस्से में चले गये तथा रेस्पोडेंटस संख्या 01 के कब्जे काश्त की भूमि अपीलांटस के हिस्से में चली गई। तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांटस ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांटस ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किये।

2. हमने अपील अपीलांटस दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की।

3. रेस्पोडेंटस एवं उनके अधिवक्ता को न्यायालय समय समाप्ति तक तीन बार अलग–अलग समय में आवाजे लगाई गई परन्तु रेस्पोडेंटस एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। अतः एकतरफा बहस सुनी। अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपीलांटस की स्थाई रहवासी ढाणियों व स्थाई पानी के टांके एवं चारे के बाड़ो को अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव के जरिये रेस्पोडेंटस के हक में रख दिये गये, जिससे अपीलांटस के विधिक हक एवं हित इत्यादि प्रभावित हो रहे है। विभाजन प्रस्ताव में बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस एवं कब्जे काश्त अनुसार नहीं किया गया। तहसीलदार पचपदरा की मौका रिपोर्ट अनुसार अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाऐ। सर्व प्रथम अपीलांटस का गलत बंटवाड़े का ज्ञान रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा दिनांक 4.6.2012

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

को बेदखल करने की धमकियाँ दिये जाने पर हुआ एवं वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। अपीलांटस की अपील स्वीकार कर पक्षकारान के भौतिक कब्जा काश्त अनुसार आराजी का विभाजन आदेश पारित करावें।

4. हमने अपीलांटस अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख एवं तहसीलदार पचपदरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटस ने यह अपील तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित बंटवाड़ा आदेश दिनांक 08.12.2010 के विरूद्व पेश की है। अपीलांटस व रेस्पोडेंटस संख्या 01 की पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 179 रकबा 13 बिस्वा गैर मुमकीन, खसरा नंबर 180 रकबा 87 बीघा 02 बिस्वा बा.सो. कुल रकबा 87 बीघा 15 बिस्वा ग्राम रामदेवपुरा (नागाणा) तहसील पचपदरा में आई हुई है। अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु राजस्व अभियान के दौरान् तहसीलदार पचपदरा के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। उक्त किये गये बंटवाड़ा आदेश में कब्जे काश्त को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद बना हुआ है और मौके पर बंटवाड़ा अनुसार कब्जा न होकर भिन्न प्रकार से कब्जा है, अर्थात् विभाजन आदेश पक्षकारान के मौजूदा कब्जा काश्त बाई मिटस एवं बाउण्डस के अनुसार नहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा ने विभाजन विलेख स्वीकृत करने से पूर्व रेकर्ड, मौके की स्थिति की सही जांच नहीं की, जिसके अभाव में अपीलाधीन आदेश को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपीलांटस नें अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत् धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया है, जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद सुमार की जाती है।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.12.2010 को अपास्त किया जाता है और तहसीलदार

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

पचपदरा को निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त व बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के सिद्वान्त अनुसार खातेदारान की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना करते हुए पुनः विधिवत विभाजन आदेश पारित करें।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

आदेश खुले न्यायालय में आज दिनांक 07.09.2017 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)